HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 225/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 520/2023

Vinod Meena Son Of Babulal Meena, Aged About 25 Years, Resident Of Village Baswada, Police Station Lakheri, District Bundi, Presently Residing As Tenant In The House Of Govind Mali, Near Railway Track, Sanjay Nagar, Police Station, Vigyan Nagar, Kota.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **विनोद मीणा** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, क्रम–4, कोटा** द्वारा विशिष्ट सैशन (पोक्सो) प्रकरण संख्या–**158/2021, सरकार बनाम विनोद मीणा** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **06.01.2023** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी इस प्रकरण में 05 वर्ष से भी अधिक सजा भुगत चुका है। उनका यह भी निवेदन है कि पीड़िता एवं अपीलार्थी रिश्तेदार हैं, पीड़िता के संबंध में एफ0एस0एल0 हेतु भेजे गए सैम्पल के संबंध में कड़ीबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रकरण में गवाहान के बयानों में विरोधाभास है, जिनके संबंध में भी विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है, अतः प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध कर, अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। अतः पत्रावली में आई साक्ष्य की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस

न्यायालय में दिनांक **24.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **विनोद मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /36